

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, जयपुर प्रथम, जयपुर

क्रमांक: पीए/विविध/23/361

दिनांक: 18/5/23

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,  
कलेक्ट्रेट जयपुर।

विषय:- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल मे दायर Original Application No. 26/2023 श्री राकेश शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 17.04.2023 के क्रम मे तथ्यात्मक/वस्तुस्थिति रिपोर्ट भिजवाने बाबत !

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल मे दायर Original Application No. 26/2023 श्री राकेश शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 17.04.2023 के क्रम मे तथ्यात्मक/वस्तुस्थिति रिपोर्ट श्रीमान की सेवा मे आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:-रिपोर्ट/एनेस्जर।

क्रमांक: पीए/विविध/23/362

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर प्रथम, जयपुर

दिनांक: 18/5/23

1. श्रीमान उपजिला कलक्टर महोदय, जयपुर तृतीय, कलेक्ट्रेट।

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर प्रथम, जयपुर

Report of the committee constituted by the Hon'ble NGT, Central  
Zone Bench, Bhopal

in the matter of

Rakesh Sharma V/s State of Rajasthan & Ors

OA No. 26/2023

The details of the case are as under

1. Applicant:- Rakesh Sharma
2. Respondents:- State of Rajasthan & Ors
3. Background:-
  - (i) Applicant Sh. Rakesh Sharma has raised the issue of unscientific and unregulated mining operation as well as the illegal operation of crusher units in Vill. Kalwad District Jaipur.
  - (ii) Grievance is that miners using blasting materials (which are banned) in the adjoining populated area is directly affecting the health of the persons residing around and also affecting functioning of the school, cracks have been developed in the walls and also causing noise pollution. Mining is being done illegally without any valid permission in the prohibited and banned areas for mining.
4. Hon'ble NGT Central Zone Bench order dated 17.04.2023 :-

The order of Hon'ble NGT inter-alia says as under

*"4. Before issuing any notice to the opposite parties, we are of the view to call a report from a Committee consisting of (i) District Collector, Jaipur and (ii) one representative from Rajasthan State Pollution Control Board. The committee is directed to submit the factual and action taken report within three weeks."*

5. Constitution of Committee:-

The committee of following was constituted vide order dated 28.04.2023 of District Magistrate, Jaipur:-

- (i) Sub Divisional Magistrate, Jaipur-First (Nominee).
- (ii) Regional Officer, Jaipur (North), Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (Member)

Jay

(AMB Mines)

and

6. Field Visit :-

Since the matter is related to illegal mining and operation of the stone crushers on the mining leases, Department of Mines was also requested to depute concerning person to join the team as special invitee. Accordingly, Sh. Laxmi Chand Meena, Assistant Mining Engineer, Jaipur was also present during the field visit. The committee visited the site on 02.05.2023 and observations of the committee during the field visit are as under:-

- (i) That mining leases no. 231/1991, 58/1990, 44/1992, 179/1995 and 57/1990 Village Kalwar, Distt. Jaipur were visited alongwith the mines department record and revenue record.
- (ii) Names of lease holders of the mining leases are as under:-
  - 231/1991- M/s National Stone Crusher
  - 58/1990- M/s Rajdhani Stone Crusher Pvt. Ltd.
  - 44/1992- M/s Shyam Stone Crusher
  - 179/1995- M/s Jagdish Prasad Jat
  - 57/1990- M/s Pink City Stone Crusher
- (iii) All the mining leases have stone crushing unit on the lease area in the same name as above except M.L.No. 179/1995, where stone crushing unit is in the name of M/s RK Stone Crusher.
- (iv) As per the comments of the representative of the Department of Mines and Geology (copy enclosed) the mining activities and the stone crushing activities being carried out within the mining lease area. No illegal mining was observed on these mining leases No. 231/1991, 58/1990, 44/1992, 179/1995 and 57/1990 Village Kalwar, Distt. Jaipur. There is a Govt. School at approx. 500 met. Distance from the nearest mining lease(44/1992). There appears no possibility of affecting the functioning of the school because of the blasting operations in the mining leases
- (v) No activity related to mining was being carried out on site during the visit. Stone crushing activities were also not being carried out during the visit of team.
- (vi) As per the record provided during the visit of the team, health check-up of the mines workers was last conducted on 08.02.2023 and as per the report, no effect on the health of the workers observed.

July

AME  
AME  
(Mines)

AME

7. Permissions issued :-

- (i) Mining lease no. 231/1991 allotted by the Department of Mines and Geology, (present lease holder- M/s National Stone Crusher) mining lease is valid upto 25.03.2042. Environmental Clearance was issued by DEIAA Jaipur on dated 25.06.2016. Consent to operate under the provisions of Air Act, 1981 granted on 20.08.2018 which is valid upto 30.06.2023.
- (ii) Mining lease no. 58/1990 allotted by the Department of Mines and Geology, (present lease holder- M/s Rajdhani Stone Crusher Pvt. Ltd.) mining lease is valid upto 08.10.2040. Environmental Clearance was issued by DEIAA, Jaipur on dated 25.06.2016. Consent to operate under the provisions of Air Act, 1981 granted on 26.12.2022 which is valid upto 30.04.2028.
- (iii) Mining lease no. 44/1992 allotted by the Department of Mines and Geology, (present lease holder- M/s Shyam Stone Crusher) mining lease is valid upto 11.01.2045. Environmental Clearance was issued by DEIAA, Jaipur on dated 25.06.2016. Consent to operate under the provisions of Air Act, 1981 granted on 10.12.2021 which is valid upto 31.12.2026.
- (iv) Mining lease no. 179/1995 allotted by the Department of Mines and Geology, (present lease holder- M/s Jagdish Prasad Jat) mining lease is valid upto 20.11.2048. Environmental Clearance was issued by DEIAA, Jaipur on dated 25.06.2016. Consent to operate under the provisions of Air Act, 1981 granted on 24.05.2022 which is valid upto 31.05.2027.
- (v) Mining lease no. 57/1990 allotted by the Department of Mines and Geology, (present lease holder- M/s Pink City Stone Crusher) mining lease is valid upto 08.10.2044 Environmental Clearance was issued by DEIAA Jaipur on dated 25.06.2016 Consent to operate under the provisions of Air Act, 1981 granted on 20.02.2023 which is valid upto 30.09.2028.
- (vi) Out of above five mining leases, 4 lease holders have valid permission for blasting. One M.L. No 179/1995 does not have valid permission for blasting and applied for the permission to DGMS, Ajmer. Lease holder has been directed by the department of mines not to do blasting operations till the permission is granted.

July

AS  
(AME Mines)

Am

(vii) All five stone crushing units having valid consent to operate under the provisions of the Air Act, 1981.

8. Enclosures:-

- (i) Copy of Mauka Fard prepared by revenue department.(Annex.-1)
- (ii) Copy of report prepared by Mining Deptt.(Annex.-2)
- (iii) Copy of the report of the health checkup camp of mines Workers organized on 08.02.2023 (Annex.-3)

9. Conclusion:-


- (i) No illegal mining or crushing activity observed on the mining lease areas.
- (ii) No effect on the functioning of the school expected due to present mining operations in these mining lease areas.
- (iii) As per the health checkup camp dated 08.02.2023 report, No effect on the health of the workers of mines observed.
- (iv) Effect on nearby houses or school due to blasting can be assessed only after seismic study.



(Laxmi Chand Meena)  
AME, Jaipur



(Vijay Sharma)  
RO,RSPCB, Jaipur(North)



(Rakesh Meena)  
SDM, Jaipur-First

मैशमाल जीन ड्रीब्यूनाल Application No. 26/2023 (C2) के  
सम्बन्ध में सूचना

Project Register

M/S श्यामस्टोन केशर

माइनिंग लीज नं.

M/L No. 44/1992

बिन्दुवार रिपोर्ट:-

- ① खनन लीज सूची में उक्त खान का खतरा नम्बर 167 दर्ज है तथा  
नक्शा लडा है जो रसी तस्मीम के अनुसार उक्त खान गाम काजवाड  
के ख.नं. 167. 168/2 में स्थित है। मुताबिक जमाबन्दी गाम काजवाड  
सं. 2015-18 के गाम काजवाड के ख.नं. 168 ख.नं. 10.8759 हैक्टर  
किल्म-चरागाह ख.नं. 167 ख.नं. 15.9724 हैक्टर किल्म जे-मु-पहाड  
की खानेदारी JDA जयपुर के नाम दर्ज है उक्त खतरा नम्बर 167,  
168/2 के खानेज विभाग हेतु आरक्षित होने का कौड़ी विवरण  
जमाबन्दी में दर्ज नहीं है।
- ② उक्त ख.नं. 167. 168/2 के सम्बन्ध में किसी न्यायालय का  
कोई स्थगन आदेश नहीं है।
- ③ उक्त ख.नं. 167 की किल्म जे-मु पहाड है जो प्रतिबन्धित क्षेत्र में  
नहीं आती है तथा ख.नं. 168/2 की किल्म-चरागाह है जो प्रतिबन्धित  
क्षेत्र में नहीं आती है।
- ④ सैटलमेन्ट खानों की सं. 2015-2034 में ख.नं. 167 की किल्म जे-मु  
पहाड व ख.नं. 168/2 168 की किल्म-चरागाह दर्ज है।

रिपोर्ट सादर पेश है।

पुष्पेश  
पंजाब  
16-5-2023

  
1615123  
JDR काजवाड

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल Application No. 26/2023 (C2) के  
सम्बन्ध में सूचना -

Project Name

माइनिंग लीज नं.

M/S नेशनल स्टीन केशर  
कालवाड

M.L.No. 231/1991


विन्दुवार रिपोर्ट

- ① खनन लीज सूची में उक्त खानका खसरा नम्बर 167 दर्ज है तथा नक्शा पत्रा में ही खरी तरमीम के अनुसार उक्त खान गाम कालवाड के ख.नं 166, 167, 168)2 में स्थित है। (मुताबिक जमाबन्दी गाम कालवाड सं. 2015-78 के गाम कालवाड के खसरा नम्बर 167 रकबा 15.9724 हेक्टेयर, किस्म जे. भु पहाड, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.2909 हेक्टेयर किस्म जे. भु पहाड, खसरा नम्बर 168)2 रकबा 10.8759 हेक्टेयर किस्म चरागाह की खानेदारी जसपुर विकास प्राधिकरण जसपुर के नाम दर्ज है) उक्त खसरा नम्बरों 166, 167, 168)2 के खानेज विभाग हेतु आराखत किये जाने बाबत कोई विवरण जमाबन्दी में दर्ज नहीं है।
- ② उक्त खसरा नम्बर 166, 167, 168)2 के सम्बन्ध में किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है।
- ③ उक्त खनन 166 व 167 की किस्म जे. भु पहाड हेतु प्रतिवादीत क्षेत्रों में नहीं है खनन 168)2 की किस्म चरागाह हेतु प्रतिवादीत क्षेत्रों में आती है।
- ④ सैटलमेन्ट खतोंनी सं. 2015-34 में खनन 167 की किस्म जे. भु पहाड व खनन 166 की किस्म जसपुर व खनन 168 की किस्म चरागाह दर्ज है।

रिपोर्ट सादर पेश है।

पुष्पेंद्र  
कालवाड  
16-5-2023

1615123  
DR कालवाड



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)  
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- कालवाड  
पटवार हल्का :- कालवाड  
भू.अभि.नि. :- कालवाड  
तहसील :- कालवाड  
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2079 ( वर्ष 2022 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 688  
खाता संख्या पुराना :- 432

काश्तकार का नाम:-

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर हिस्सा- पूर्ण सा, देह संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
100	0.0632	गे.मु.चाह	0.0632			नोट नं. 5 से खसरा संख्या : 295/1 सभी काश्तकार पर श्रीमान
1001	0.0379	गे.मु.चाह	0.0379			उपखण्ड अधिकारी महोदय जयपुर प्रथम के आदेश क्र.1/26/03/2021
1011	0.1897	गै.मु.रास्ता	0.1897			जनसुनवाई पंचायत समिति झोटवाडा की पालना मे प्रशासन गांवो
1030	0.1012	गै.मु.रास्ता	0.1012			के संग अभियान 2010 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
1031	133.0654	गै.मु.नदी	133.0654			द्वारा ग्राम कालवाड के खसरा नम्बर 295/1 रकबा 31.6034
112	0.2782	गै.मु.रास्ता	0.2782			है.किस्म चारागाह मे से 1700 वर्ग मीटर भूमि राजकीय प्राथमिक
1156/176	1.7073	खेल मैदान	0.4679			विधालय बागडो की ढाणी कालवाड व 500 वर्ग मी.भूमि आंगनबाडी
		संस्थानिक प्रयोजनार्थ	1.2394			केन्द्र ग्राम कालवाड के लिए आरक्षित किये जाने का नोट अंकित
1158/177	0.4679	खेल मैदान	0.1517			किया गया । नोट लगा हुआ है।
		संस्थानिक प्रयोजनार्थ	0.3162			नोट नं. 6 से खसरा संख्या : 168/2 सभी काश्तकार पर श्रीमान
118/1097	0.1644	गै.मु.रास्ता	0.1644			उपखण्ड अधिकारी महोदय जयपुर प्रथम के आदेश क्र.1/26/03/2021
130/6	0.3794	गै.मु.रास्ता	0.3794			जनसुनवाई पंचायत समिति झोटवाडा की पालना मे प्रशासन गांवो
134	0.1897	गै.मु.रास्ता	0.1897			के संग अभियान 2010 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
142/1	3.6675	चरागाह	3.6675			द्वारा ग्राम कालवाड के खसरा नम्बर 168/2 रकबा 10.8759
143	4.3630	चरागाह	4.3630			है.किस्म चारागाह मे से 500 वर्ग मीटर भूमि आंगनबाडी केन्द्र
144	2.4660	चरागाह	2.4660			कालवाड व 5058 वर्गमीटर भूमि सामुदायिक भवन व अन्य राजकीय भवन
146	0.0632	गे.मु.चाह	0.0632			
151	0.2403	गै.मु.रास्ता	0.2403			
164	0.8852	बारानी 2	0.8852	2.64		
166	0.1265	गै.मु.पहाड	0.1265			
166/1	0.0252	गै.मु.पहाड	0.0252			

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)  
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- कालवाड  
पटवार हल्का :- कालवाड  
भू.अभि.नि. :- कालवाड  
तहसील :- कालवाड  
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2079 ( वर्ष 2022 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 688  
खाता संख्या पुराना :- 432

166/2	0.2909	गै.मु.पहाड	0.2909	
167	15.9724	गै.मु.पहाड	15.9724	
168/2	10.8759	चरागाह	10.8759	
168/5	0.2529	चरा.सभाभवन एंव मैदान	0.2529	
168/7	0.2023	चरागाह	0.2023	
169	0.9358	गै.मु.रास्ता	0.9358	
172	0.5059	अकृषि प्रयोजनार्थ	0.5059	
173/1	0.5564	अकृषि प्रयोजनार्थ	0.5564	
173/2	1.0117	खेल मैदान संस्थानिक प्रयोजनार्थ	0.4047 0.6070	
177/1	0.8852	अकृषि प्रयोजनार्थ	0.8852	
178	1.3279	अकृषि प्रयोजनार्थ	1.3279	
183	0.1265	गै.मु.रास्ता	0.1265	
188	0.1265	गै.मु.रास्ता	0.1265	
200	0.5185	गै.मु.रास्ता	0.5185	
219	0.3035	गै.मु.रास्ता	0.3035	
222	0.1265	गै.मु.रास्ता	0.1265	
249	0.2276	गै.मु.रास्ता	0.2276	
251/1100	0.4047	गै.मु.रास्ता	0.4047	
275/1154	0.7588	बारानी 2	0.7588	2.26
280	0.1012	गे.मु.चाह	0.1012	
281	0.6197	गै.मु.रास्ता	0.6197	
282/1	0.7082	शमशान	0.7082	
282/2	0.2529	चरा.सभाभवन एंव मैदान	0.2529	
293	5.3874	चरागाह	5.3874	
294	0.3541	गै.मु.मन्दिर भैरु जी	0.3541	
295/1	31.6034	चरागाह	31.6034	
295/2	0.2529	गै.मु.घुर्सिया	0.2529	
305	0.1391	गै.मु.रास्ता	0.1391	
307	1.0117	गै.मु.रास्ता	1.0117	
312/1	1.8464	गै.मु.रास्ता	1.8464	
321	1.0740	गै.मु.रास्ता	1.0740	



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)  
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- कालवाड  
पटवार हल्का :- कालवाड  
भू.अभि.नि. :- कालवाड  
तहसील :- कालवाड  
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्बत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2079 ( वर्ष 2022 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 688  
खाता संख्या पुराना :- 432

378	0.0253	गै.मु.रास्ता	0.0253	
384	0.3415	गै.मु.रास्ता	0.3415	
428	0.9738	गै.मु.रास्ता	0.9738	
429	0.8852	गै.मु.रास्ता	0.8852	
437/1	1.8337	गै.मु.रास्ता	1.8337	
443	1.9349	गै.मु.रास्ता	1.9349	
448	1.7578	गै.मु.रास्ता	1.7578	
460	0.1012	गै.मु.रास्ता	0.1012	
463	0.1265	गै.मु.रास्ता	0.1265	
464	0.1012	गै.मु.रास्ता	0.1012	
465	0.6829	गै.मु.घुर्सिया	0.6829	
47	0.3288	गै.मु.रास्ता	0.3288	
471	0.3162	गै.मु.मन्दिर भैरु जी	0.3162	
472	1.1129	गै.मु.बाँध	1.1129	
497	0.3920	गै.मु.नला	0.3920	
498/1187	0.0759	बंजड़ 2	0.0759	0.03
499	0.2909	गै.मु.पाल	0.2909	
500/1189	0.1518	गै.मु.तालाब	0.1518	
501	0.1897	गै.मु.नदी	0.1897	
502	0.0253	गै.मु.नदी	0.0253	
505	0.0253	गै.मु.चाह	0.0253	
518	1.2646	गै.मु.रास्ता	1.2646	
519	10.2183	गै.मु.नदी	10.2183	
520	9.3710	गै.मु.नदी	9.3710	
521/2	8.3466	गै.मु.नदी	8.3466	
527	2.8454	गै.मु.नदी	2.8454	
528	7.7522	गै.मु.नदी	7.7522	
542	0.4932	गै.मु.रास्ता	0.4932	
544/2	0.1138	गै.मु.रास्ता	0.1138	
558	0.0759	गै.मु.रास्ता	0.0759	
558/1113	0.1518	गै.मु.रास्ता	0.1518	
573	2.2258	गै.मु.नदी	2.2258	
574	8.5869	गै.मु.नदी	8.5869	
575	3.6675	गै.मु.नदी	3.6675	
583	3.3513	गै.मु.नदी	3.3513	
584/1201	0.1770	गै.मु.रास्ता	0.1770	
586	0.2276	गै.मु.रास्ता	0.2276	

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)  
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- कालवाड  
पटवार हल्का :- कालवाड  
भू.अभि.नि. :- कालवाड  
तहसील :- कालवाड  
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्बत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2079 ( वर्ष 2022 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 688  
खाता संख्या पुराना :- 432

607/1	3.1742	गै.मु.नदी	3.1742	
607/2	0.1897	गै.मु.नदी	0.1897	
608/1	1.1255	गै.मु.नदी	1.1255	
608/2	1.2014	गै.मु.नदी	1.2014	
609/1	2.3775	चरागाह	2.3775	
609/4	1.0117	चरागाह	1.0117	
611	0.2529	गै.मु.नदी	0.2529	
612	4.0595	चरागाह	4.0595	
613/1	9.4089	चरागाह	9.4089	
613/3	0.5059	गै.मु.घुर्सिया	0.5059	
629	0.0885	गै.मु.नला	0.0885	
660	0.1265	गै.मु.रास्ता	0.1265	
682	0.0759	गै.मु.रास्ता	0.0759	
690	0.5564	गै.मु.रास्ता	0.5564	
70	0.0379	गै.मु.रास्ता	0.0379	
703	0.2529	गै.मु.रास्ता	0.2529	
709	0.1518	गै.मु.रास्ता	0.1518	
715	0.0379	गै.मु.रास्ता	0.0379	
717	0.1012	गै.मु.रास्ता	0.1012	
719	0.2276	गै.मु.रास्ता	0.2276	
738	0.0759	गै.मु.रास्ता	0.0759	
74	0.6956	गै.मु.पहाड	0.6956	
747	0.0126	गे.मु.चाह	0.0126	
763	24.9513	चरागाह	24.9513	
78	0.6197	गै.मु.रास्ता	0.6197	
785	2.3522	गै.मु.नदी	2.3522	
788	7.5120	गै.मु.नदी	7.5120	
80	7.8281	गै.मु.पहाड	7.8281	
821	0.0379	गे.मु.चाह	0.0379	
823/1116	0.1138	गै.मु.रास्ता	0.1138	
827/1	0.4173	बारानी 1	0.4173	1.65
829	0.1391	गै.मु.रास्ता	0.1391	
832	0.0632	गै.मु.रास्ता	0.0632	
857	6.3358	चरागाह	6.3358	
858	19.7790	गै.मु.पहाड	19.7790	
859	0.0253	गे.मु.चाह	0.0253	
860/2	0.0379	गै.मु.रास्ता	0.0379	
861	0.1391	गै.म.रास्ता	0.1391	

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)  
(प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- कालवाड  
पटवार हल्का :- कालवाड  
भू.अभि.नि. :- कालवाड  
तहसील :- कालवाड  
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2079 ( वर्ष 2022 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 688  
खाता संख्या पुराना :- 432

876	0.1770	गै.मु.रास्ता	0.1770
877	0.0379	गै.मु.चाह	0.0379
888	0.2529	गै.मु.रास्ता	0.2529
899	0.2150	गै.मु.रास्ता	0.2150
903	0.0885	गै.मु.चाह	0.0885
908	0.1265	गै.मु.रास्ता	0.1265
909	1.4796	गै.मु.घुर्सिया	1.4796
910	0.5691	चरागाह	0.5691
910/1	0.1265	चरागाह	0.1265
910/2	1.0749	चरागाह	1.0749
910/3	1.3911	चरागाह	1.3911
911	0.5817	गै.मु.घुर्सिया	0.5817
918	0.0379	गै.मु.रास्ता	0.0379
922	0.8852	गै.मु.घुर्सिया	0.8852
930	0.0506	गै.मु.चाह	0.0506
935	0.0885	गै.मु.रास्ता	0.0885
943	0.6703	गै.मु.रास्ता	0.6703
952	3.8066	गै.मु.नदी	3.8066
956/1274	3.5410	गै.मु.रिसोर्ट	3.5410
960	0.1265	गै.मु.रास्ता	0.1265
970	0.3035	गै.मु.रास्ता	0.3035
976	10.0665	गै.मु.पहाड	10.0665
977/1	1.5176	गै.मु.पहाड	1.5176
977/2	0.3794	गै.मु.पहाड	0.3794
977/3	0.7082	गै.मु.पहाड	0.7082
985	0.6197	गै.मु.रास्ता	0.6197
987	0.1518	गै.मु.रास्ता	0.1518
989/1199	0.0885	गै.मु.रास्ता	0.0885
996/1090	0.2529	गै.मु.रास्ता	0.2529

कुल खसरे - 154 423.2998 423.2998 6.5800

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 15-May-2023



नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल Application No. 26/2019 (C2) के सम्बन्ध में सूचना-

Project Proprietor

आईडिआ सीएन

पिकंसीरीस्टोन केशर  
कालवाड

57/50

बिन्दुवार रिपोर्ट -

- ① खनन लीज सूची में उक्त खान का खसरा नम्बर 167 दर्ज है तथा नक्शा (पट्टा) में होरखी तरमीम के अनुसार उक्त खान ग्राम कालवाड के ख-नं. 167 व 977 में स्थित है। (मुताबिक जमाबन्दी ग्राम कालवाड सम्वत् 2075-2078 के खसरा नम्बर 167 रकबा 15.9724 हेक्टर किस्म जे-मु पट्टा व खसरा नम्बर 977 रकबा 07.082 हेक्टर किस्म जे-मु पट्टा की खानदारी गणेश जयपुर के नाम दर्ज है। उक्त ख-नं. 167 व 977 के खानेज विभाग हेतु आराक्षित होने कागत कोई विवरण जमाबन्दी में दर्ज नहीं है।
- ② उक्त ख-नं. 167 व 977 के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है।
- ③ उक्त खसरा नम्बर 167 व 977 की किस्म जे-मु पट्टा हेतु जो प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं है।
- ④ सेंट्रल मन्ट खानोनी ग्राम कालवाड स्वी 2015-2034 में उक्त खसरा नम्बर 167 की किस्म जे-मु पट्टा दर्ज है तथा खसरा नम्बर 977 की किस्म खजंड दैरम दर्ज है।

रिपोर्ट सादर पेश है।

पुनपुन  
कालवाड  
16-5-23

16/5/23  
I.R. कालवाड

नैशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल Application No. 26/2023 (C2) के  
सम्बन्ध में सूचना :-

Project Propriet  
M/s राजधानीस्टेन केशर  
कामवाड

महानिजीसीएम  
MLNo. 58/90

### बिन्दुवार रिपोर्ट :-

- ① खनन लीज सूची में उक्त खान का खसरा नम्बर 167 दर्ज है तथा  
रिकॉर्ड के अनुसार उक्त खान खसरा नम्बर 167 ग्राम कामवाड में  
स्थित है। (मुताबिक जमावन्दी ग्राम कामवाड सं. 2015-2018 के खसरा  
नम्बर 167 रकबा 15.9724 हेक्टेयर किस्म जे.भू पहाड की खातेदारी  
JDA जयपुर के नाम दर्ज है। उक्त ख-नं. 167 के खानेज विभाग  
द्वारा आश्रित होने का बात कोई वितरण जमावन्दी में दर्ज नहीं है।
- ② उक्त ख-नं. 167 के सम्बन्ध में किलीन्यायालय में कोई वाद  
विकाराधीन नहीं है।
- ③ उक्त ख-नं. 167 की किस्म जे.भू पहाड है जो प्रसिक्ती त-शर्तों  
में नहीं है।
- ④ ग्राम कामवाड की सैटलमेन्ट खतौनी सं. 2015-2018 में उक्त  
खसरा नम्बर 167 की किस्म जे.भू पहाड दर्ज है।

रिपोर्ट सादर पेश है।

पुण्ड  
दरभानवाड  
16-5-23  
1615123  
ILR कामवाड

नेशनल एग्रीकल्चरल ड्रीव्जनल Application No 26/2023 (C2) के सम्बन्ध में सूचना -

Project Proposer

मार्गदर्शक टीम नं.

श्री  
जगदीश पल्लवाड  
कालवाड

M.L.No. 179/95

विन्दुवाक जांच रिपोर्ट -

- ① खनन टीम सूची में उक्त खान का खसरा नम्बर 167 दर्ज है तथा नक्शा भट्टा में हो रही तरजीम के अनुसार उक्त खान गाम कालवाड के खसरा नम्बर 166-167, 168/2 में स्थित है। मुताबिक जमाबन्दी गाम कालवाड खसरा 2075-2078 के खसरा नम्बर 167 खसरा 15.9724 हेक्टेयर किस्म जै-भु पहाड खसरा नम्बर 166 खसरा 0.2909 किस्म जै-भु पहाड खसरा नम्बर 168/2 खसरा 10.8759 हेक्टेयर किस्म चरागाह की खातदारी J.D.A. जयपुर के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नम्बरों 166, 167, 168/2 के खनिज विभाग हेतु आरक्षित होने बाबत कोई विवरण जमाबन्दी में दर्ज नहीं है।
- ② ख.नं. 166-167, 168/2 के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है।
- ③ उक्त ख.नं. 166 व 167 की किस्म जै-भु पहाड है जो प्रतिबन्धित क्षेत्रों में नहीं आती है तथा ख.नं. 168/2 की किस्म चरागाह है जो प्रतिबन्धित क्षेत्रों में आती है।
- ④ सर्वेक्षण खानों की सं. 2015-2034 में ख.नं. 167 की किस्म जै-भु पहाड, ख.नं. 166 की किस्म जै-भु पहाड व ख.नं. 168 की किस्म चरागाह दर्ज है।

रिपोर्ट सादर है।

पुष्प  
दर कालवाड  
16-5-23

  
1615123  
DR कालवाड

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग जयपुर

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में दायर Original Application No.

26/2023 श्री राकेश शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक


17.04.2023 के क्रम में तथ्यात्मक/वस्तुस्थिति रिपोर्ट:-

1. खनन पट्टा संख्या 231/1991:- उक्त खनन पट्टा निकट ग्राम कालवाड तहसील व जिला जयपुर में खनिज चेजा पत्थर क्षेत्र 1.00 हैक्टेयर हेतु मैसर्स नेशनल स्टोन क्रेशर के पक्ष प्रभावशील है। पट्टेधारी द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन एवं क्रेशिंग कार्य किया जा रहा है। पट्टेधारी को खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर द्वारा दिनांक 28.09.2023 तक ब्लास्टिंग की अनुमति प्रदान की गई है। खनन पट्टा की कन्सेन्ट टू ऑपरेट दिनांक 30.06.2023 तक वैध है।
2. खनन पट्टा संख्या 179/1995:- उक्त खनन पट्टा निकट ग्राम कालवाड तहसील व जिला जयपुर में खनिज चेजा पत्थर क्षेत्र 1.00 हैक्टेयर हेतु जगदीश प्रसाद जाट के पक्ष में प्रभावशील है। पट्टेधारी द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन एवं क्रेशिंग कार्य किया जा रहा है। पट्टेधारी द्वारा ब्लास्टिंग की अनुमति चाहने हेतु खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर में आवेदन दिनांक 08.05.2023 को किया जाना अवगत कराया है। मौके पर खनन पट्टाधारी को ब्लास्टिंग नहीं करने बाबत पाबन्ध किया गया। खनन पट्टा की कन्सेन्ट टू ऑपरेट दिनांक 31.05.2027 तक वैध है।
3. खनन पट्टा संख्या 57/1990:- उक्त खनन पट्टा निकट ग्राम कालवाड तहसील व जिला जयपुर में खनिज चेजा पत्थर क्षेत्र 1.00 हैक्टेयर हेतु मैसर्स पिकसिटी क्रेशर के पक्ष में प्रभावशील है। पट्टेधारी द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन एवं क्रेशिंग कार्य किया जा रहा है। पट्टेधारी को खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर द्वारा दिनांक 28.09.2023 तक ब्लास्टिंग की अनुमति प्रदान की गई है। खनन पट्टा की कन्सेन्ट टू ऑपरेट दिनांक 30.08.2028 तक वैध है।



4. खनन पट्टा संख्या 44/1992:- उक्त खनन पट्टा निकट ग्राम कालवाड तहसील व जिला जयपुर मे खनिज चेजा पत्थर क्षेत्र 1.00 हैक्टेयर हेतु मैसर्स श्याम स्टोन क्रेशर के पक्ष मे प्रभावशील है। पट्टेधारी द्वारा स्वीकृत क्षेत्र मे ही खनन एवं क्रेशिंग कार्य किया जा रहा है। पट्टेधारी को खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर द्वारा दिनांक 28.09.2023 तक ब्लास्टिंग की अनुमति प्रदान की गई है। खनन पट्टा की कन्सेन्ट टू ऑपरेट दिनांक 31.12.2026 तक वैध है।
5. खनन पट्टा संख्या 58/1990:- उक्त खनन पट्टा निकट ग्राम कालवाड तहसील व जिला जयपुर मे खनिज चेजा पत्थर क्षेत्र 1.00 हैक्टेयर हेतु मैसर्स राजधानी स्टोन क्रेशर के पक्ष मे प्रभावशील है। पट्टेधारी द्वारा स्वीकृत क्षेत्र मे ही खनन एवं क्रेशिंग कार्य किया जा रहा है। पट्टेधारी को खान सुरक्षा महानिदेशालय अजमेर द्वारा दिनांक 28.09.2023 तक ब्लास्टिंग की अनुमति प्रदान की गई है। खनन पट्टा की कन्सेन्ट टू ऑपरेट दिनांक 30.04.2028 तक वैध है।

  
खनि कार्यदेशक  
(राजेश कुमार)

  
सहायक खनि अभियंता, जयपुर

# राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालवाड़, जयपुर

प्रेषक

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी  
एच सचिव राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी  
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालवाड़, जयपुर

प्रेषित :

श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
अधिकारी, जयपुर प्रेषित


क्रमांक :


दिनांक : 18/5/2023

विषय : कालवाड़ क्षेत्र में ग्रामीणों के शि लिकेसिस के स्वास्थ्य जांच  
संदर्भ : करने के क्रम में

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पत्र क्रमांक सीएल/2023/493  
दिनांक 8/2/2023 को कालवाड़ क्षेत्र के निम्न ग्रामीणों के  
स्वास्थ्य एवं स्क्रीनिंग के दौरान निम्न स्वास्थ्य परीक्षण  
किया गया :

कुल लाभान्वित ग्रामीण	स्क्रीनिंग डिपेंडेंसी	संदीग्ध	X-Ray
70	70	0	0

  
चिकित्सा अधिकारी  
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र  
कालवाड़, (जयपुर)

  
चिकित्सा अधिकारी  
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र  
कालवाड़, (जयपुर)